

[2023] 1 एससीआर 985

मैसर्स ओसवाल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज

बनाम

प्रबंधक, विधिक विभाग एन.ए.आई.सी.ओ. लिमि.

(सिविल अपील सं. 83/2023)

13 जनवरी, 2023

[न्या. एम.आर. शाह और न्या. सी.टी. रविकुमार]

बीमा- आग के कारण संयंत्र और मशीनरी के नुकसान के मामले में भले शिकायतकर्ता बीमा पॉलिसी के तहत पुनःस्थापन मूल्य या ह्रासित मूल्य का हकदार हो- अपीलार्थी ने अग्नि और जोखिम पॉलिसी की सदस्यता ली- आग लग गई और सर्वेक्षणकर्ता ने पुनर्स्थापना मूल्य पर 29,17,500/- रुपये और मूल्यह्रास मूल्य पर 12,60,000/- रुपये के नुकसान का आकलन किया- सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट के बावजूद बीमा कंपनी ने दावे को अस्वीकार कर दिया- राज्य आयोग ने सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए पुनःस्थापन मूल्य पर पात्रता का अवलोकन करते हुए अस्वीकृति की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 29,17,500/- रुपये का अधिनिर्णय दिया- एन.सी.डी.आर.सी. ने राज्य आयोग के आदेश को अपास्त कर दिया और 7 प्रतिशत ब्याज के साथ 12,60,000/- रुपये ह्रासित मूल्य की पात्रता को देखते हुए दिए- अपील पर अभिनिर्धारित किया- बीमा पॉलिसी के खंड 9 के अनुसार, शिकायतकर्ता पुनःस्थापन मूल्य का हकदार होगा न कि ह्रासित मूल्य का- सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट पुनःस्थापन या मरम्मत के लिए आवश्यक राशि पर विचार करने के लिए प्रासंगिक होगी- एन.सी.डी.आर.सी. ने खंड 9 को गलत तरीके से पढ़ा और गलत व्याख्या की है- एन.सी.डी.आर.सी. ने यह

अभिनिर्धारित करने में चूक की है कि बीमा कंपनी केवल ह्रासित मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है- एन.सी.डी.आर.सी. का आदेश अपास्त किया गया- राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश को बहाल किया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. बीमा पॉलिसी के खंड 9 के दूसरे भाग को ध्यान में रखते हुए यदि कंपनी बीमित संपत्ति को बहाल करने या मरम्मत करने में असमर्थ है तो बीमा कंपनी ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जो ऐसी संपत्ति को बहाल करने या मरम्मत करने के लिए आवश्यक होगी यदि उसे कानूनी रूप से अपनी पूर्व स्थिति में बहाल किया जा सकता है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट बहाल करने या मरम्मत के लिए आवश्यक राशि पर विचार करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य है। इसलिए, पॉलिसी की धारा 2 के खंड 9 के दूसरे भाग के अनुसार शिकायतकर्ता पुनःस्थापन मूल्य का हकदार होगा न कि ह्रासित मूल्य का। एन.सी.डी.आर.सी. ने खंड 9 को गलत तरीके से पढ़ा है और गलत व्याख्या की है। एन.सी.डी.आर.सी. ने यह देखने और अभिनिर्धारित करने में गंभीर चूक की है कि बीमा कंपनी केवल ह्रासित मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा न कि पुनःस्थापन मूल्य हेतु। राज्य आयोग पुनःस्थापन मूल्य देने में आत्यन्तिक रूप से उचित था। एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा ह्रासित मूल्य प्रदान कर पुनःस्थापन मूल्य ना देने वाला आक्षेपित निर्णय और आदेश अरक्षणीय है। एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अभिखंडित कर अपास्त कर दिया जाता है। राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है। राज्य आयोग के आदेश की तारीख से 7 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ शिकायतकर्ता 29,17,500/- रुपए का पुनःस्थापन मूल्य के रूप में हकदार होगा। [पैरा 5.2 और 6] [990-सी-जी]

केनरा बैंक बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
और अन्य, 2020 (3) एससीसी 455 : [2020] 7
एससीआर 498 - संदर्भित।

निर्णयज विधि संदर्भ

दीवानी अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील सं. 83/2023.

प्रथम अपील सं. 207/2015 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 20.02.2019 के निर्णय और आदेश के द्वारा।

जय सावला, वरिष्ठ अधिवक्ता, धनंजय गर्ग, अभिषेक गर्ग, डी.के. गर्ग, अखिल डहलान, संजय छाबड़ा, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

अमित कुमार सिंह, श्रीमती के एनाटोली सेमा, सुश्री चुबालेम्ला चांग, प्रांग न्यूमाई, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्या., एम.आर. शाह

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (इसके बाद एन.सी.डी.आर.सी. के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रथम अपील सं. 207/2015 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांकित 20.02.2019 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस किया जिसके द्वारा एन.सी.डी.आर.सी. ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब (इसके बाद राज्य आयोग के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया है और इसे इस हद तक संशोधित किया है कि बीमा कंपनी 29,17,500/- रुपये के बजाय केवल 12,60,000/- रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील को दायर किया है।

2. कि यहाँ पर अपीलार्थी ने दिनांक 02.07.2009 से प्रभावित मानक अग्नि और विशेष आपदा नीति प्राप्त की है। बीमित राशि 2.50 करोड़ रुपये

थी। अपीलार्थी के अनुसार, नीति पुनःस्थापन मूल्य पर थी। नीति को बढ़ाकर 4.5 करोड़ रुपए कर दिया गया था। कि पॉलिसी की वैधता की अवधि के दौरान अर्थात् दिनांक 17.10.2009 पर कारखाने के परिसर में आग लग गई जिसके परिणामस्वरूप 76,64,000/- रुपए की सामग्री, स्टॉक और मशीनरी का नुकसान हुआ था। बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता ने पुनःस्थापन के मूल्य के आधार पर 29,17,500/- रुपए और ह्रासित मूल्य पर 12,60,000/- रुपए के नुकसान का आकलन/मूल्यांकन किया था। बीमा कंपनी ने सर्वेक्षक और अन्वेषणकर्ता की रिपोर्ट के बावजूद दावे का खंडन कर दिया। अपीलार्थी यहाँ पर मूल शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज सहित 76,64,000/- रुपए का दावा किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से यह मामला था कि शिकायतकर्ता ने क्षतिग्रस्त मशीनरी को बदलने के लिए 1,34,07,836/- रुपए की लागत से मशीनरी खरीदी थी। राज्य आयोग ने आदेश दिनांकित 10.11.2014 के द्वारा सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए और सर्वेक्षणकर्ता द्वारा पुनःस्थापन मूल्य के आधार पर नुकसान का मूल्यांकन कर 29,17,500/- रुपए की राशि के साथ 9% ब्याज के साथ निराकरण पत्र दिनांकित 28.10.2010 की तारीख से दिया। राज्य आयोग ने भी एक लाख रुपए मुआवजे और 11,000/- मुकदमेबाजी खर्च के रूप में दिए। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि हालांकि मूल शिकायत 76,64,000/- रुपए के लिए थी लेकिन सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट और

पुनःस्थापन मूल्य 29,17,500/- रुपए पर निर्धारित करने पर, राज्य आयोग ने 29,17,500/- रुपए को पुनः स्थापन मूल्य होने के नाते दिया है। राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष बीमा कंपनी द्वारा अपील की विषयवस्तु थी। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, एन.सी.डी.आर.सी. ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश में 29,17,500/- रुपए से 12,60,000/- रुपए के साथ 7% की दर से ब्याज देने का संशोधन यह देखते हुए किया कि शिकायतकर्ता ह्रासित मूल्य का हकदार होना चाहिए न कि पुनःस्थापन मूल्य के। एन.सी.डी.आर.सी. ने 1 लाख रुपए के प्रतिकर अधिनिर्णय को भी अपास्त किया है।

2.1 एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस किया जिसके द्वारा 29,17,500/- रुपए के बजाय केवल 12,60,000/- रुपए दिए अर्थात् ह्रासित मूल्य प्रदान किया गया और पुनःस्थापन मूल्य नहीं, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील को दायर किया है।

3. अपीलार्थी-मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जय सावला ने प्रबलतापूर्वक प्रस्तुत किया है कि एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा पुनःस्थापन मूल्य ना देकर ह्रासित मूल्य प्रदान करने वाला आक्षेपित निर्णय और आदेश बीमा पॉलिसी की धारा 2 के खंड 9 के बिल्कुल विपरीत है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार सर्वेक्षणकर्ता ने पुनः स्थापन के आधार पर नुकसान का आकलन 29,17,500/- रुपए किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए निराकरण को उपयुक्त रूप से अनुचित माना गया था।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने आग में पांच मशीनों के जलने के कारण नई मशीनरी खरीदी थी और इसलिए सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर राज्य आयोग द्वारा 29,17,500/- रुपए पुनःस्थापन मूल्य होने के नाते दिया जाना आत्यन्तिक रूप से न्यायोचित था।

3.3 पॉलिसी की धारा 2 के खंड 9 पर भरोसा करते हुए यह प्रबलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता पुनःस्थापित मूल्य का हकदार होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन.सी.डी.आर.सी. ने पॉलिसी की धारा 2 के खंड 9 की गलत व्याख्या करके गलत तरीके से दावे को घटाकर 12,60,000/- रुपए किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार उक्त खंड 9 की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह केवल बीमा कंपनी को क्षतिग्रस्त/नष्ट संपत्ति को बहाल करने या बदलने का विकल्प देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि कंपनी ने संपत्ति को बहाल नहीं किया है इसलिए खंड स्वयं लागू नहीं था।

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा केनरा बैंक बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य;

2020 (3) एससीसी 455 के मामले में देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया है कि नीति के प्रावधानों को इस तरह से पढ़ा जाना और व्याख्या की जानी चाहिए ताकि सभी पक्षकारों की उचित अपेक्षाओं को प्रभावी बनाया जा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आगे अभिनिर्धारित किया जाता है कि कवरेज प्रावधानों की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए और यदि कोई अस्पष्टता है तो उसे बीमित व्यक्ति के पक्ष में दिया जाना चाहिए।

3.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करके वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाए।

4. बीमा कंपनी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान अपील का प्रबलतापूर्वक विरोध किया जाता है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और बीमा पॉलिसी की धारा 2 के खंड 9 की सही व्याख्या पर एन.सी.डी.आर.सी. ने ह्रासित मूल्य देने और शिकायतकर्ता द्वारा दावा किए गए पुनःस्थापन मूल्य को देने में कोई त्रुटि नहीं की है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा उचित रूप से देखा गया है कि बीमित सामान को जैसा है वैसे ही के आधार पर बदला जाना था अर्थात् यदि मशीनरी पुरानी मशीनरी है तो इसे

एक पुरानी मशीनरी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है और इसलिए चूँकि शिकायतकर्ता या बीमा कंपनी द्वारा वास्तविक बहाली नहीं की गई है और बीमित व्यक्ति को पुनःस्थापन के आधार पर धन का भुगतान किया जाना है इसलिए प्रतिस्थापन के आधार पर मशीनरी के मूल्य का पता लगाना है अर्थात् पुरानी मशीनरी का मूल्य जिसकी गणना केवल मशीनरी के वर्तमान मूल्य से मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर की जा सकती है।

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा जाता है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और बीमा पॉलिसी के प्रासंगिक खंड की सही व्याख्या पर आग के कारण संयंत्र और मशीनरी के नुकसान के मामले में शिकायतकर्ता पुनःस्थापन मूल्य या ह्रासित मूल्य का हकदार होगा?

5.1 उपरोक्त मुद्दे से निपटने के दौरान पॉलिसी की धारा 2 के प्रासंगिक खंड 9 पर विचार किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है:-

"9. यदि कंपनी अपने विकल्प पर हानि या क्षति की राशि का भुगतान करने के बजाय, क्षतिग्रस्त या नष्ट की गई संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से को पुनर्स्थापित या प्रतिस्थापित करती है, या ऐसा करने में किसी अन्य कंपनी या बीमाकर्ता(ओं) के साथ शामिल होती है, तो कंपनी उसी तरह या पूरी तरह से पुनर्स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं होगी लेकिन केवल परिस्थितियों की अनुमति के अनुसार और उचित रूप से पर्याप्त तरीके से और किसी भी मामले

में कंपनी ऐसी संपत्ति को पुनर्स्थापित करने में पुनःस्थापना की लागत से अधिक खर्च करने के लिए बाध्य नहीं होगी जो ऐसी हानि या क्षति की घटना के समय थी और न ही कंपनी द्वारा उस पर बीमित राशि से अधिक होगी। यदि कंपनी इस प्रकार किसी संपत्ति को पुनर्स्थापित या प्रतिस्थापित करने का चुनाव करती है तो बीमित व्यक्ति अपने स्वयं के खर्च पर कंपनी को ऐसी योजनाएं, विनिर्देश, माप, मात्रा और ऐसे अन्य विवरण प्रदान करेगा जिनकी कंपनी को आवश्यकता हो और कंपनी द्वारा पुनर्स्थापना या प्रतिस्थापन की दृष्टि से किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य को कंपनी द्वारा पुनर्स्थापित या प्रतिस्थापित करने के लिए चुनाव नहीं माना जाएगा।

यदि किसी हाल में कंपनी, सड़कों के नक्शे या भवनों के निर्माण को प्रभावित करने वाले किसी भी नगरपालिका या अन्य नियमों के कारण बीमित संपत्ति को पुनर्स्थापित या मरम्मत करने में असमर्थ होगी तो ऐसे प्रत्येक मामले में कंपनी केवल ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जो ऐसी संपत्ति को पुनर्स्थापित करने या मरम्मत करने के लिए आवश्यक होगी यदि उसे कानूनी रूप से अपनी पूर्व स्थिति में बहाल किया जा सकता है।”

5.2 उपरोक्त खंड की उचित व्याख्या और निष्पक्ष पठन पर बीमा कंपनी को सबसे पहले नुकसान या क्षति की राशि का भुगतान करने के बजाय क्षतिग्रस्त या नष्ट की गई संपत्ति को बहाल करने या बदलने का विकल्प दिया जाता है। यदि बीमा कंपनी पुनःस्थापन के विकल्प का चुनाव करती है या क्षतिग्रस्त संपत्ति को बदल देती है तो कंपनी पूरी तरह से या आंशिक रूप से केवल परिस्थितियों की अनुरूपता के अनुसार और उचित रूप से पर्याप्त तरीके से पुनःस्थापित करने के लिए बाध्य नहीं होगी और किसी भी मामले में कंपनी पुनःस्थापन में ऐसी संपत्ति को ऐसी हानि या क्षति की घटना के समय पुनःस्थापित करने में लगने वाली लागत से

अधिक खर्च करने के लिए बाध्य नहीं होगी जो कंपनी द्वारा बीमित राशि से अधिक न हो। हालांकि, किसी भी मामले में कंपनी बीमित संपत्ति को बहाल करने या मरम्मत करने में सड़कों के संरेखण या भवनों के निर्माण या अन्य को प्रभावित करने वाले किसी भी नगरपालिका या अन्य विनियमों के कारण असमर्थ है या अन्यथा उस मामले में, कंपनी ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जो ऐसी संपत्ति को बहाल करने या मरम्मत करने के लिए आवश्यक होगी यदि उसे कानूनी रूप से अपनी पूर्व स्थिति में बहाल किया जा सकता है। वर्तमान मामला दूसरी सम्भावना से संबंधित है नामतः कंपनी संपत्ति को बहाल करने या मरम्मत करने में असमर्थ थी। सर्वेक्षणकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में नुकसान का निर्धारण पुनःस्थापन मूल्य के आधार पर 29,17,500/- रूपए किया और ह्रासित मूल्य के आधार पर 12,60,000/- रूपए किया। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने 76,64,000/- रूपए का दावा नई मशीनरी के मूल्य होने के कारण किया परन्तु जैसा कि राज्य आयोग के साथ-साथ एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा सही रूप से देखा गया है शिकायतकर्ता उक्त राशि का हकदार नहीं होगा। तथापि, ऊपर उत्तपन खंड 9 के दूसरे भाग पर विचार करते हुए, यदि कंपनी बीमित संपत्ति को पुनःस्थापित या मरम्मत करने में असमर्थ है तो बीमा कंपनी ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जो ऐसी संपत्ति को पुनःस्थापित या मरम्मत करने के लिए आवश्यक होगी यदि उसे कानूनी रूप से अपनी पूर्व स्थिति में बहाल किया जा सकता है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट बहाल करने या मरम्मत के लिए आवश्यक राशि

पर विचार करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य है। इसलिए, पॉलिसी की धारा 2 के खंड 9 के दूसरे भाग के अनुसार शिकायतकर्ता पुनःस्थापित मूल्य का हकदार होगा न कि ह्रासित मूल्य का। एन.सी.डी.आर.सी. ने खंड 9 को गलत तरीके से पढ़ा है और गलत व्याख्या की है। एन.सी.डी.आर.सी. ने यह देखने और अभिनिर्धारित करने में गंभीर चूक की है कि बीमा कंपनी केवल ह्रासित मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी और न कि पुनःस्थापित मूल्य। राज्य आयोग पुनःस्थापन मूल्य देने में आत्यन्तिक रूप से उचित था। एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा पुनःस्थापन मूल्य ना दी कर ह्रासित मूल्य प्रदान करने वाला आक्षेपित निर्णय और आदेश ऊपर बताए गए कारणों से अरक्षणीय है।

6. उपरोक्त को मद्देनजर रख और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपील सफल होती है। एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अभिखंडित कर अपास्त किया जाता है। राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश को एतद्वारा बहाल किया जाता है। शिकायतकर्ता 29,17,500/- रुपए का पुनःस्थापन मूल्य होने के कारण हकदार होगा जो 7 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ राज्य आयोग के आदेश की तारीख अर्थात 10.11.2014 से वास्तविक भुगतान तक होगा। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति प्रदान की जाती है। कोई जुर्माना नहीं।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।